{झारखण्ड सरकार वित्त विभाग पत्र सं०- 06/एस०4(वे० पु०)-2/2008/1764/वि०
दिनांक 12 जून, 2008}

संकल्प

विषय :- राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति के द्वितीय सोपान के रूप में वेतनमान 12,000-16,500/- को चिन्हित करने की स्वीकृति ।

झारखण्ड राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के लिये वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक 08 फरवरी, 1999 द्वारा लागू केन्द्रीय वेतनमान में मात्र तीन वेतनमान स्थापित किए गये है । पुनः वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक 2714 दिनांक 21 सितम्बर, 2007 के द्वारा विशेष निदेशक (माध्यमिक) के लिये वेतनमान निर्धारित किया गया । इस प्रकार कुल चार वेतनमान यथा राज्य शिक्षा सेवा वर्ग II (मूल कोटि) के लिये रू० 6,500-10,500/- का वेतनमान राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 1 के लिये रू० 10,000-15,200/- अपर शिक्षा निदेशक के लिये रू० 14,300-18,300/- का वेतनमान, विशेष निदेशक (माध्यमिक) के लिये रू० 16,400-20,000/- का वेतनमान । संकल्प में राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 1 के लिये जिन पदों को सूचीकृत किया गया उसमें शिक्षा विभाग के प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी यथा क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, जिला स्तर के पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अन्य पदों यथा प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विद्यालय निरीक्षिका सूचीकृत नहीं है । फलतः इन सभी पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 1 होने के आधार पर एक ही वेतनमान रू० 10,000-15,200/- का भुगतान हो रहो है ।

2. राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को पूर्व में मूल कोटि क अतिरिक्त प्रोन्नति के 3 एवं 4 वेतनमान क्रमशः वर्ष 1972, 1981, एवं 1986 के पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित था । पूर्व के वेतन पुनरीक्षण में निर्धारित वेतनमान को संलग्न परिशिष्ट ''क'' पर देखा जा सकता है । दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू केन्द्रीय वेतनमान में प्रोन्नति के द्वितीय सोपान का वेतनमान नहीं रहने के कारण, संवर्गीय प्रोन्नति, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत् द्वितीय प्रोन्नति का लाभ देने के लिये वेतनमान अंकित नहीं है ।

3. राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के लिए पदों के चिन्हितीकरण संबंधी विभागीय प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि 12,000-16,500/- के

वेतनमान में पदों को चिन्हित किए वगैर तथा उस पद पर प्रोन्नति दिए वगैर 14,300-18,300/- के (Juming Scale) वेतनमान में प्रोन्नति नहीं दी जा सकती है ।

4. वर्तमान में सभी प्रोन्नति पाये पदाधिकारी को प्रोन्नति के प्रथम सोपान का वेतनमान 10,000-15,200/- ही दिया जा रहा है । इसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ, प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारी भी हैं । प्रमंडल स्तर के पदाधिकारी के लिये जिला स्तर के पदाधिकारी से उपर का वेतनमान होना आवश्यक है जिससे कि राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के लिए पद चिन्हितीकरण में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके ।

5. अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने, राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के प्रोन्नति के पदों को सुव्यवस्थित करने तथा वर्ष 1996 से लागू केन्द्रीय वेतनमान जो वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660 दिनांक 08 फरवरी, 1999 से लागू हुआ है में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के वेतनमानों में हुई विसंगति को दूर करने के लिए राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग वर्ग 1 (प्रवर कोटि) के रूप में (प्रोन्नति के द्वितीय सोपान के लिये) क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के 05 (पाँच) एवं संयुक्त निदेशक के 01 (एक) पद को रूपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में चिन्हित करने का निर्णय लिया गया है ।

6. वित्त विभाग का संकल्प संख्या-666/वि० दिनांक 08 फरवरी, 1999 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(शिव शंकर तिवारी)
सरकार के उप सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।